

प्रेषक,

विनीत प्रकाश,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
30 प्र0.नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग

लखनऊ: दिनांक: 04 मई, 2017

विषय:- बुन्देलखण्ड के जनपद झांसी की तहसील गरौठा के ग्राम धमनौड़ में 20मेगावाट क्षमता का सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक ऊर्जा विकास अभिकरण के पत्र संख्या-24/यूपीनेडा- एसई-20 मेगावाट/2015-16, दिनांक 06 अप्रैल, 2017 एवं पत्र संख्या-267/यूपीनेडा- एसई-20 एमडब्लू-टेण्डर/01/258/2016, दिनांक 20 अप्रैल, 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में ऊर्जा विकास अभिकरण, उ. प्र. को अनुदान संख्या-70 के आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत 20 मेगावाट क्षमता की ग्रिड संयोजित सौर पावर परियोजना की स्थापना हेतु पी0आई0वी0 द्वारा आंकलित लागत रू0 14128.10 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्राविधानित धनराशि रू0-65,50,00,000/- तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रश्नगत परियोजना हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 रू0 42,00,00,000/- (रू0 बयालिस करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। वित्तीय वर्ष 2017-18 में पी0आई0बी0 द्वारा आंकलित लागत रू0 14128.10 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 3378.00 लाख अवमुक्त किया जाना अवशेष है। तदनुक्रम में प्रश्नगत परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राविधानित धनराशि रू0 3378.00 लाख के सापेक्ष लेखानुदान अवधि (अप्रैल 2017 से अगस्त 2017 तक) के लिये रू0 14.00 करोड़ (रू0 चौदह करोड़ मात्र) की धनराशि को निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 1- यूपीनेडा द्वारा स्वीकृत धनराशि उपरोक्त योजना के अन्तर्गत नियमानुसार स्मस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तिया एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके अपेक्षित आवश्यक औपचारिकताए पूर्ण करते हुए सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर व्यय की जायेगी।
- 2- प्रायोजना में एकमुश्त आधार पर प्रस्तावित कार्यों का यूपीनेडा द्वारा द्वारा विस्तृत आगणन गठित कराकर निर्माण कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।
- 3- प्रायोजना से उत्पादित विद्युत ऊर्जा की विक्रय दर का निर्धारण यूपीनेडा द्वारा रेगुलेटरी एथार्टी से कराया जाना सुनिश्चित किया जाये ।
- 4- प्रायोजना के अन्तर्गत केबलिंग एवं एसेसरीज, सिविल वर्क्स इन्स्टालेशन एण्ड कमीशनिंग तथा विविध कार्यों स्वायल टेस्टिंग एवं टोपोग्राफिक्स, कन्ट्रोल रूम/सिक्योरिटी केबिल, बोरवेल पम्प/प्रेशर पम्प, वेदर मानीटरिंग डिवाइसेस, सी0सी0टी0वी, अर्थिंग एण्ड लाइटिंग प्रोटेक्शन, 33 केवी आर0एम0यू0 बूट, एरिया ग्रेडिंग एण्ड लेवलिंग, फायर इक्सिग्यूजर्स, एस0एल0डी0सी0/पी0एल0सी0सी0 तथा स्टेटरी क्लीयरेन्स आदि की लागत एकमुश्त आधार पर प्रस्तावित की गयी है। इन कार्य मर्दों हेतु निर्माण के समय वास्तविकता के आधार पर सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन लागत का भुगतान सुनिश्चित किया जाये ।
- 5- प्रायोजना के प्राविधान एवं डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि पर सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। अनुमोदित कार्यों की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर यूपीनेडा द्वारा 03 माह के अन्दर पी0आई0वी0 का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित परियोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा ।
- 6- प्रायोजना अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

- 7- स्वीकृत धनराशि उसी मद पर व्यय की जायेगी जिसके लिये स्वीकृत की गयी है और इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोग के लिये नहीं किया जायेगा। योजना पर किया जाने वाला व्यय स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखा जायेगा।
- 8- कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा।
- 8- कार्यस्थल पर इसे संबंधित उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ मुख्य विवरण शिलापट्ट/बोर्ड के रूप में जन साधारण की जानकारी के लिये प्रदर्शित किये जायेंगे।
- 10- अनुदान के कोषागार से आहरण हेतु बिल अनु सचिव अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग समयबद्ध ढंग से एवं विलम्बतम 31 मार्च, 2018 तक कर लिया जाय। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं कार्य की भौतिक प्रगति के विवरण प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग/अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके अतिरिक्त कार्य हेतु राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 02 माह में अर्थात् दिनांक 31 मई, 2018 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण वित्त विभाग/नियोजन विभाग एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
- 12- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्त विभाग/नियोजन विभाग एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करवाया जायेगा।
- 13- उक्त स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-01/2017/ बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनांक 02 जनवरी, 2017 एवं वित्त विभाग के पत्र संख्या-3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017, दिनांक 20 मार्च, 2017 तथा समय-2 पर जारी समस्त संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा निर्देशों /वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
- 14- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-70 के अधीन पूंजीलेखा-लेखा शीर्षक-“4810-नये और नवीनीकृत ऊर्जा पर पूंजीगत परिव्यय-102-सौर ऊर्जा-05-20 मेगावाट क्षमता की ग्रिड संयोजित सौर पावर परियोजना की स्थापना -24-वृहत निर्माण कार्य ” के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

15- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-01/2017/ बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनांक 02 जनवरी, 2017 एवं वित्त विभाग के पत्र संख्या-3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017, दिनांक 20 मार्च, 2017 द्वारा जारी दिशा निर्देशों में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

विनीत प्रकाश

अनु सचिव ।

संख्या व दिनांक तदैव ।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार (प्रथम) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (2) कोषाधिकारी, लखनऊ।
- (3) वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
- (4) राज्य योजना आयोग-1
- (5) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ. प्र., इलाहाबाद।
- (6) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

विनीत प्रकाश

अनु सचिव ।